


हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

तारीख  
हुक्म

13/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, पाया कि प्रकरण विगत 004 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन पर्याप्ततम अवसर दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक तक सम्मान तामीली नहीं करवाई गई है, ऐसी सूरत में वादीगण को आगे ओर अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आज वादी मय वकील उपस्थित नहीं हुए हैं, जिन्हें न्यायालय समय में तीन बार पृथक-पृथक समय में आवाजे दिलवाई गई। बावजूद उपस्थित नहीं होने पर वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

